

**अवर प्रमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय
सोन नहर अवर प्रमण्डल, नोखा, रोहतास।**

सैरातों की अल्पकालिन बंदोबस्ती हेतु आम-सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सोन नहर अवर प्रमण्डल, नोखा, रोहतास के क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित विभागीय सैरातों की अल्पकालिन बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खुला डाक से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक-11.07.2026 को 12:30 PM बजे दिन में खुली डाक द्वारा की जायेगी। दिनांक-11.07.2026 को निलामी की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने पर अगली तिथि-13.07.2026 एवं 15.07.2026 को 12:30 बजे दिन में खुली डाक द्वारा की जायेगी। जिस स्थल की बंदोबस्ती प्रथम तिथि को हो जाती है उस स्थल की बंदोबस्ती अगले तिथि को नहीं होगी। शेष बचे हुए स्थल की ही बंदोबस्ती अगले निर्धारित तिथियों को ही की जायेगी। आपके द्वारा अगर निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर बंदोबस्ती/डाक बोलने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इस संबंध में आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

क्र० सं०	सैरातों का नाम	प्रस्तावित डाक/बंदोबस्ती की तिथि	सुरक्षित जमा राशि (रुपये में)	जमानत/अग्र धन की राशि (रुपये में)	अभियुक्ति
1	नोखा शिविर के समीप बक्सर शाखा नहर के दोनो तरफ मक्कर संक्राती मेला हेतु अस्थल की निलामी।	11.07.2026	1100.00	110.00	आम किसानों की हितों को देखते हुए क्रमांक-6.7 एवं 15 अनुमयी व्यक्तियों को निलामी दी जायेगी।
2	नोखा शिविर के समीप रोड के नीचे दक्षिण तरफ एक गढ़े में मतस्य पालन एवं शिकारमाही की निलामी		1710.00	175.00	
3	ग्राम चनकी के सियावक नहर के बरैचा मोरी एवं चांट में गढ़े की निलामी।		2450.00	250.00	
4	लिलारी पुल के उपर दायें तरफ गढ़े की निलामी।		950.00	100.00	
5	अमैठी दायां सामानान्तर चैनल के हेड स्लूइस पर शिकारमाही की निलामी (स्लूइस से 50 फिट छोड़कर)		3550.00	360.00	
6	अमैठी बायां सामानान्तर चैनल के हेड स्लूइस पर शिकारमाही की निलामी(स्लूइस से 50 फिट छोड़कर)		3650.00	370.00	
7	मानस राजवाहा के हेड स्लूइस पर शिकारमाही की निलामी (स्लूइस से 50 फिट छोड़कर)		3550.00	360.00	
8	अमैठी लॉक के दायें में विद्युत परियोजना के बगल में चांट के गढ़े में मतस्य पालन एवं शिकारमाही की निलामी।		3750.00	375.00	
9	अगरेर दायां सामानान्तर के हेड स्लूइस पर शिकारमाही की निलामी (स्लूइस से 50 फिट छोड़कर)		3470.00	350.00	
10	बक्सर शाखा नहर के नटवार पुल के पास विभागीय चार (04) गढ़ों में मतस्य पालन एवं शिकारमाही की निलामी।		53405.00	5350.00	
11	नोखा शिविर समीप रोड के निचे दायें तरफ उत्तर दिशा के एक गढ़े में मतस्य पालन एवं शिकारमाही की निलामी।		750.00	100.00	
12	जयनगरा बायां सामानान्तर चैनल के हेड स्लूइस पर शिकारमाही की निलामी (स्लूइस से 50 फिट छोड़कर)		12000.00	1200.00	
13	नोखा शिविर के पास PWD रोड के नीचे सिंचाई विभाग के गढ़े की निलामी।		2600.00	260.00	
14	जयनगरा दायां सामानान्तर चैनल के हेड स्लूइस पर शिकारमाही की निलामी (स्लूइस से 50 फिट छोड़कर)		4650.00	500.00	
15	अमैठी लॉक पर मछली मारने की निलामी (लॉक से 50 फिट छोड़कर)		2950.00	300.00	
16	सियावक राजवाहा के हेड स्लूइस पर शिकारमाही की निलामी (स्लूइस से 50 फिट छोड़कर)		1050.00	110.0	
17	बघैला पुल के पास शिकारमाही की निलामी		950.00	100.00	
18	सलेया राजवाहा के हेड स्लूइस पर शिकारमाही की निलामी (स्लूइस से 50 फिट छोड़कर)		950.00	100.00	
19	पिपरा गाँव के पास चांट के गढ़े में शिकारमाही की निलामी		3650.00	370.00	
20	नटवार पुल के पश्चिम तरफ से 50 मी० उत्तर गढ़े में शिकारमाही की निलामी।		1950.00	200.00	

बंदोबस्ती की शर्तें

- बंदोबस्ती एवं डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति जमानत की राशि जमा करने के बाद ही बंदोबस्ती/डाक में भाग लेंगे। सफल डाक वक्ता डाक की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद ही डाकबोली की पूरी राशि एक मुस्त जामा करना होगा।
- यदि उचित डाक वक्ता द्वारा बोले गये राशि पर बंदोबस्ती नहीं ली जाती है तो उसके जमानत के रूप में जामा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी एवं द्वितीय डाक वक्ता के साथ बंदोबस्ती की कार्यवाई की जायेगी। तथा अन्य व्यक्तियों की जमानत की राशि उसी समय वापस कर दी जायेगी।
- डाक की कार्यवाई या किसी प्रकार का निर्णय लेने या बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- निलामी की सम्पुष्टि कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा होने के पश्चात ही निलामी प्राप्त कर्ता को भर पाई रसीद दी जायेगी।
- निलामी/बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को ध्यान देना होगा की मछली पकड़ते समय नहर की सुरक्षा एवं सिंचाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही नहर में बने संरचना से कम से कम 50 मिटर दूरी पर ही मछली पकड़ने का कार्य करेंगे। अगर बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्तियों द्वारा नहर संरचना/बैंक क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी मरम्मत एवं जवाब देही आपकी जिम्मे होगी।

३०/-

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, नोखा।

पत्रांक 128 /

सिकरौल, दिनांक 25.06.2024

प्रतिलिपि:—प्रचार—प्रसार हेतु अग्रसारित

1. सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।

अनु०:—सी०डी० सहित

Umesh
25.06.24

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
नहर अवर प्रमण्डल, नोखा।
25/06/24